

संघालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश

क्रमांक-4/सी0आर0/सेल-2/2006/

370

भोपाल, दिनांक 22.09.2006

प्रति,

01. संचालक, राज्य स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान सिटी, सेंटर, ग्वालियर।
02. संचालक, राज्य स्वास्थ्य शिक्षा संचार ब्यूरो, भोपाल।
03. संचालक, राज्य क्षय प्रत्याक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल।
04. संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, नौस राहत, भोपाल।
05. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
06. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय
07. समस्त प्राचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र म0प्र0
08. समस्त संयुक्त संचालक सह अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय म0प्र0
09. अधीक्षक क्षय चिकित्सालय भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर/छिंदवाड़ा एवं नौगांव जिला छतरपुर।
10. अधीक्षक, सिविल अस्पताल, जे.एन.के.भोपाल/सनी दुर्गावती चिकित्सालय जबलपुर/जे.एस.आर. हटारसी/जे.एन.एच.गैरु राहू भोपाल एवं बैरागढ़ भोपाल
11. अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, ग्वालियर/इंदौर म0प्र0
12. समस्त अधीक्षक, केन्द्रीय एवं जिला स्तर, म0प्र0
13. समस्त अधिकारीगण, संघालनालय स्वास्थ्य सेवायें।
14. समस्त अधीक्षक/सहायक अधीक्षक/उप सत्री/शाखा प्रभारी, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।

विषय:- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का गोपनीय प्रतिवेदन लिखने की प्रणाली में संशोधन।


संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक/1128/1523 /05/9-1 दिनांक 24.06.2005 एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का पत्र क्रमांक/एफ 8/2006/17/मेडि-1 दिनांक 08.09.2006।

-000-

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ने अपने परिपत्र क्रमांक/1128/1523 /05/9-1 दिनांक 24.06.2005 द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखने की प्रणाली में संलग्न परिपत्र अनुसार संशोधन जारी विवे है (प्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करें। मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अपने पत्र क्रमांक/एफ 8/2006/17/मेडि-1 दिनांक 08.09.2006 द्वारा उक्त संशोधित प्रति उपलब्ध कराते हुये सर्व संबंधितों को अवगत कराने के निर्देश दिये हैं।

अतः उक्त संशोधित गोपनीय लेखन प्रणाली का अवलोकन करें एवं तदनुसार वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन आगामी वर्षों से चैनल अनुसार भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार गोपनीय प्रतिवेदन लिखने की संशोधित प्रणाली।


(डॉ. राजेश कुमार)
आयुक्त

स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि-रूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
02. पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश, भोपाल।
03. जेल महानिदेशक मध्यप्रदेश, भोपाल।
04. संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्यप्रदेश भोपाल।
05. संचालक, चिकित्सा शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल।
06. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/रीवा/जबलपुर।
07. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
08. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

(शिवन शर्मा रूपला)

अपर संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश

11

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मन्त्रालय- भोपाल

HC 06 100R/LEAVE

क्रमांक :- एफ-8/2006/17/मंडि-1

भोपाल, दिनांक 8.9.2006

प्रति,

1. योग्यतः स्वास्थ्य सेवाएँ,
मध्यप्रदेश।
2. संचालक,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मध्यप्रदेश।
3. संचालक चिकित्सा सेवाएँ,
मध्यप्रदेश।

मध्यप्रदेश स्वास्थ्य सेवाएँ	मध्य. शासन.
17 Aug 2006	
शाखा	HC
क्रमांक	2006/17

3430 हेमोडायलिसिस/आयुष्म
दिनांक 13.9.06

विषय :- विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली लिखने की प्रणाली।

ADCCR)

समान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के जॉब क्रमांक 1139/1523/05/9-1, दिनांक 24 जून, 2005 द्वारा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन लिखने की प्रणाली संशोधन प्रपत्र में त्रुटियाँ अनुसार विधायित्व नहीं है। सर्वसंमति से अद्यतन कराया है।

7/0
दिनांक :- उपरोक्तानुसार
आवक क्र. 2028
दिनांक 14/9/06

(मदन कुमार उमेश्याय)
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

1. समस्त संगीत संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
की जेंर सूचनाएँ एवं पालनाएँ।

मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
भ्रमालय, भोपाल.


क्रमांक 1128/1523/05/9-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24/10/05

प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
भ्रमालय, भोपाल.

विषय - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का योशनीय प्रतिवेदन लिखने की प्रणाली में संशोधन।

राज्य शासन द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के योशनीय प्रतिवेदन लिखने की प्रणाली संशोधन प्रपत्र में सशर्त अनुसार निर्धारित की जाती है। कृपया सर्व संबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करें।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।


{आर.आर.एस.एम.राजी}

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग